# छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

क्रमांक 02 / वि.स. / संपदा / 2019 रायपुर, दिनांक 12/06/2019

## //चेयर क्रय हेतु निविदा सूचना //

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय हेतु ब्रान्डेड कुशन चेयर क्रय किया जाना प्रस्तावित है । जिसके संबंध में निर्माताओं एवं अधिकृत विक्रेताओं से निविदा प्रस्ताव दिनांक 05 जुलाई, 2019 को अपरान्ह 3:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं । निविदा की विस्तृत शर्तें/जानकारी सचिवालय की संपदा शाखा से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है अथवा विधानसभा सचिवालय की वेबसाइट www.cgvidhansabha.gov.in पर भी उपलब्ध है ।

उप सचिव,
छत्तीसगढ़ विधानसभा .

# निविदा की शर्तें/जानकारी

1. निविदाकर्ता को अधिकृत विक्रेता प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करनी होगी ।
2. लगभग 100 नग कुशन कुर्सी/चेयर विधानसभा सचिवालय के समिति कक्षों हेतु क्रय किया जाना है ।
3. कुर्सी की कुल उंचाई, सीट की उंचाई , लंबाई चौड़ाई, सीट से आर्म रेस्ट की उंचाई, जमीन से आर्म रेस्ट उंचाई का स्पष्ट उल्लेख करते हुए ब्रोशर आदि संलग्न करना होगा । कुर्सी में कुशन एवं फोम उच्च गुणवत्ता का हो ।
4. सामग्री की दर तथा उस पर देय कर का स्पष्ट उल्लेख हो ।
5. दरों की वैद्यता अवधि उल्लेखित करते हुए प्रस्ताव देना होगा ।
6. निविदाकर्ता, डी.जी.एस. एण्ड डी. की दरें, यदि कोई हो तो, भी प्रस्तुत कर सकेगा ।
7. निविदाकर्ता का वस्तु एवं सेवा कर पंजीयन होना अनिवार्य होगा ।
8. निविदाकर्ता को वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 के आयकर गणना पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी ।
9. मुहरबंद निविदा के साथ अमानत राशि के रूप में राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक द्वारा जारी राशि रूपये 10,000/– (रूपये दस हजार मात्र) की एफ.डी. (सावधि जमा) सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा, रायपुर के नाम से देय संलग्न करना होगा । अमानत राशि की एफ0डी0 पृथक लिफाफों में प्रस्तुत करनी होगी ।
10. सामग्री के नमूने का प्रदर्शन क्रय समिति के समक्ष विधानसभा सचिवालय द्वारा सूचित किये जाने पर निविदाकर्ता को स्वयं के व्यय से करना होगा ।
11. सचिवालय द्वारा क्रय आदेश प्रदाय की तिथि से अधिकतम 30 दिवस के अन्दर वांछित सामग्री सही/चालू हालत में सचिवालय में स्वयं के व्यय पर अनिवार्यतः पहुंचानी होगी ।
12. निविदाकर्ता संस्था को प्रदाय सामग्री की वांरटी अवधि का उल्लेख भी स्पष्ट रूप से करना होगा ।
13. आदेशित सामग्री, गुणवत्तायुक्त निर्धारित समयावधि में प्रदाय न करने पर जमा की गई अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी ।
14. निविदा प्रस्ताव, विधानसभा भवन स्थित अनुभाग अधिकारी, संपदा शाखा, कक्ष क्रमांक–बी–7 के पास दिनांक 05 जुलाई, 2019 अपराह्न 3:00 बजे तक जमा किया जा सकता है । निर्धारित समय–सीमा के पश्चात प्राप्त निविदाएं मान्य नहीं होगी ।
15. निविदा को मान्य या अमान्य करने का सर्वाधिकार सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा को होगा ।
16. किसी भी विवाद पर, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा ।

उप सचिव,<br>
छत्तीसगढ़ विधानसभा.